

स्पीड पोस्ट
आवंटनादेश

संख्या-6/एफ1-303/18 श्र0सं0-
बिहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग

13/

प्रेषक,

गोपाल मीणा,
श्रमायुक्त, बिहार ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी, भोजपुर(आरा)।

पटना, दिनांक:-

23-1-19

विषय:-

मुख्य शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-उप मुख्य शीर्ष-01-श्रम-लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र
उप योजना-माँग सं०-26-उप शीर्ष-0102-बाल श्रमिक तंत्र का सुदृढीकरण (विपत्र कोड-26-
2230017960102) के अन्तर्गत निधि का आवंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-3387 दिनांक 14.05.18 के
आलोक में चालू वित्तीय वर्ष-2018-19 में 31 मार्च, 2019 तक व्यय हेतु आपकी अध्यक्षता में गठित
“बाल श्रमिक पुनर्वास-सह-कल्याण कोष” में जमा करने हेतु रू० 5000/- (रूपये पाँच हजार) मात्र
प्रति बाल श्रमिक की दर से निधि का आवंटन निम्न प्रकार से किया जाता है:-

क्र० सं०	37-अनुग्रह अनुदान विषयशीर्ष	जिला का नाम	बाल श्रमिकों की संख्या	आवंटित राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	0102.37.01 अनुग्रह अनुदान	भोजपुर (आरा)	02	10000	श्रम अधीक्षक, भोजपुर (आरा)का पत्रांक- 10 दिनांक-05.01.19 के आलोक में ।

कुल आवंटित राशि ₹ 10,000/- (₹ दस हजार) मात्र ।

- यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-354/वि० दिनांक-28.03.18, 3244/वि० दिनांक-4.5.18 एवं
वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक-2561/वि०(2) दिनांक-17.04.98 के आलोक में है ।
- इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय । यदि आवंटित राशि
से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा ।
- आवंटित राशि का व्यय संबंधित विपत्रों को नियमानुसार जाँच कर किया जाय। आवंटित राशि से
उन्हीं विमुक्त बाल श्रमिक को लाभांशित किया जाय जिन्हें पूर्व में यह राशि प्रदान नहीं की गयी है।
- आवंटित राशि से हुए व्यय का व्यय प्रतिवेदन/उपयोगिता प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में निकासी के
उपरांत अविलंब उपलब्ध करा दी जाय ।
- यह आवंटन वित्त विभाग, बिहार के पत्रांक-6903 दिनांक-13.09.18 के आलोक में
CFMS Software से निर्गत न कर मैनुअली निर्गत किया जा रहा है।
- यह आवंटन राज्य योजना से संबंधित है ।

विश्वासभाजन,

23/1/19
(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक:-6/एफ1-303/18 श्र0सं0-

13/

पटना, दिनांक

23-1-19

प्रतिलिपि-महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

23/1/19
(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।

10

* स्पीड
पोस्ट

ज्ञापांक:-6/एफ1-303/18 श्र0सं0- 13/ पटना, दिनांक 23-1-19.
प्रतिलिपि-प्रधान सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय
आयुक्त /संबंधित जिला पदाधिकारी/*संबंधित कोषागार/उप कोषागार, पदाधिकारी/संबंधित उप
श्रमायुक्त/संबंधित श्रम अधीक्षक/प्रशाखा-2 सरकार पक्ष/ आई०टी०मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार,
पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/संयुक्त श्रमायुक्त एवं प्रशाखा-01 को उनके
गै०स०प्रे०सं०-22(श्रम पक्ष) दिनांक-16.01.19 के आलोक में/बजट शाखा, प्रशाखा-6 (श्रम पक्ष) एवं व्यय
विवरणी शाखा, प्रशाखा-06 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

2. व्यय प्रतिवेदन/उपयोगिता प्रमाण पत्र का संधारण संबंधित शाखा प्रशाखा-01 द्वारा किया जायेगा ।

23/1/19
(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।